न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 102/2022

सुमन महतो वगैरह बनाम घासीराम महतो वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
02-08-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ.पी.) के अप्राथमिकी संख्या–13/22 दिनांक 20/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–03 प्लॉट सं. 424 रकवा–1 एकड़ 98 डी. जमीन में 30 डी. जमीन में लगे पेड़ काटने के कारण विवाद का कारण है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 18.08.2022 को उपस्थापित करें। 02/08 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू।	

अनुसूची 14 – फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563

पृष्ठ संख्या–

आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
	अहीर से परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया। तत्पश्चात गवाही को मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष दिनांक 06-02-2023 को गवाही रखें। कार्य० दण्डा० बुण्डू।
19. 06-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से पार्टी गवाही सुमन महतो से परीक्ष एवं प्रतिपरीक्षण किया गया। तत्पश्चात गवाही को मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद की अवधि वि हेतु अनुरोध पत्र दाखिल किया गया जिसपर द्वि पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति किया। दिनां 13-02-2023 को रखें। कार्य० बुण्डू
17-। 13-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द०प्र० धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि छः माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सी छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधि द्वारा भी दोनों पक्षों में शांति बने रहने तथा संबं थाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रति टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्य को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबं को सूचित करें। कार्य० बु

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 15:06:25 +05:30
Location: 10.93.79.5